

ई-मेल/फैक्स

स्पीड पोस्ट

पत्र संख्या : 1/वि0प्र0-05/2015-सा0 प्र0-

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

\*\*\*

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,  
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

बिहार संवर्ग के सभी भा0प्र0से0 पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक: दिसम्बर, 2015

विषय:-

विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/परिसंवाद/विचार- गोष्ठी/ अध्ययन यात्रा आदि के लिए प्रस्थान करने के पूर्व अपेक्षित संवर्ग अनापत्ति हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाओं का समर्पण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त विषयगत विहित पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशाला / परिसंवाद/विचार- गोष्ठी/ अध्ययन यात्रा आदि के लिए प्रस्थान करने के पूर्व अपेक्षित संवर्ग अनापत्ति हेतु वांछित सूचनाओं का अनुलग्न प्रपत्र में समर्पण आवश्यक है ।

2. अतः अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विषयाधीन प्रस्तावों के विचारार्थ प्रेषण/अग्रसारण हेतु संबंधित प्रशासी विभागों में समर्पित किये जाने वाले अनुरोध पत्रों के साथ सम्बद्ध विहित प्रपत्र की कंडिका 01 से 09 में अपेक्षित सूचनायें कृपया अनिवार्य रूप से संलग्न करने की कृपा की जाय ।

अनु0:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के अवर सचिव ।

ई-मेल/फैक्स

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक:- 1/वि0प्र0-05/2015-सा0 प्र0- 17114 /पटना-15, दिनांक: 11 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को आलोच्य विहित प्रपत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि विषय से आच्छादित प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित/अग्रसारित किये जाने के समय विहित प्रपत्र में वांछित संबंधित पदाधिकारियों की सूचनायें भी कृपया अनुबद्ध करने की कृपा की जाय ।

अनु0:- यथोक्त ।

सरकार के अवर सचिव ।

ई-मेल/फैक्स

स्पीड पोस्ट

पत्र संख्या : 1/वि0प्र0-05/2015-सा0 प्र0-

17114

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

\*\*\*

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,  
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

बिहार संवर्ग के सभी भा0प्र0से0 पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक: 11 दिसम्बर, 2015

विषय:-

विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/परिसंवाद/विचार- गोष्ठी/  
अध्ययन यात्रा आदि के लिए प्रस्थान करने के पूर्व अपेक्षित संवर्ग अनापत्ति हेतु विहित  
प्रपत्र में वांछित सूचनाओं का समर्पण ।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त  
विषयगत विहित पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि भारत सरकार से  
प्राप्त निदेश के आलोक में विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशाला /  
परिसंवाद/विचार- गोष्ठी/ अध्ययन यात्रा आदि के लिए प्रस्थान करने के पूर्व अपेक्षित संवर्ग  
अनापत्ति हेतु वांछित सूचनाओं का अनुलग्न प्रपत्र में समर्पण आवश्यक है ।

2. अतः अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विषयाधीन प्रस्तावों के  
विचारार्थ प्रेषण/अग्रसारण हेतु संबंधित प्रशासी विभागों में समर्पित किये जाने वाले अनुरोध पत्रों  
के साथ सम्बद्ध विहित प्रपत्र की कंडिका 01 से 09 में अपेक्षित सूचनायें कृपया अनिवार्य रूप से  
संलग्न करने की कृपा की जाय ।

अनु0:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

  
11/12/2015  
सरकार के अवर सचिव ।

## Checklist for clearance in respect of IAS officers visiting abroad

1. Name and designation of the officer
2. Date of birth
3. Details of the training programme/ workshop/seminar etc. with a copy of the invitation/admission
  - (i) Name of the course/workshop/seminar etc.
  - (ii) Name of the institution/country
  - (iii) Duration
  - (iv) Details of the cost of the training/workshop/Seminar
4. Expenditure
  - (i) Details of expenditure on the visit abroad(including travel, hospitality etc.)
  - (ii) Source of funding
5. Agency that bears the cost of the training/ workshop/seminar
  - (i) Details of such cost
  - (ii) Details of the Agency
6. Service/cadre to which the officer belongs
7. Year of allotment to the cadre
8. Job description of the officer
9. Relevance of the training/workshop/seminar to the job of the officer
10. Whether the officer is clear from vigilance angle
11. Recommendation of the Cadre Controlling State Government/Ministry
12. No objection/approval of Deptt. of Personnel & Trg. will be subject to clearance by Ministry of External Affairs from political angle, MHA in FCRA and Ministry of Finance if need be from Screening Committee etc.